जन साधारण को विद्युत चोरी एवं अनियमितता के प्रकरणों में किये जाने वाले शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना।

- विभागीय नियमानुसार किसी व्यक्ति के परिसर की चेकिंग में विद्युत चोरी पाये जाने पर प्रत्येक केस में जनपद के विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाती है।
- जिस व्यक्ति के परिसर पर विद्युत चोरी पकड़ी गई है उसे चाहिए कि वह पूर्ण भरी हुई चैकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर चैंकिंग रिपोर्ट की एक प्रति अवश्य प्राप्त करें। यदि किसी कारणवश चैकिंग रिपोर्ट की प्रति उपभोक्ता को मौके पर प्राप्त नहीं हो पायी है तो सम्बन्धित खण्ड से चैकिंग रिपोर्ट की छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है।
- विद्युत चोरी के प्रकरणों में भारतीय विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 के अन्तर्गत शमन शुल्क एवं उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के संलग्नक–6.3 के अनुसार राजस्व निर्धारण का प्राविधान निम्नानुसार है–
- **शमन शुल्क :–**

विद्युत चोरी की प्रकृति		शमन–शुल्क की दर (रू0/कि0वा0)
1. औद्योगिक		बीस हजार रूपये
2. वाणिज्यिक	1 किलो वॉट तक	पॉच हजार रूपये
	1 किलो वॉट से अधिक	दस हजार रूपये
3. निजी नलकूप		दो हजार रूपये (प्रति एच0पी0)
4. अन्य	1 किलो वॉट तक	दो हजार रूपये
	1 किलो वॉट से अधिक	चार हजार रूपये

- **राजस्व निर्धारण की गणना :–**

(क)	विद्युत चोरी की मात्रा = (L.H.D.F.) एल0×एच0×डी0×एफ0 यूनिट	
एल0 =	भार (KW/HP/KVA) विद्युत चोरी की प्रकृति के अनुसार	
एच0=	घंटे की वास्विक मात्रा है, जब आपूर्ति फीडर पर उपलब्ध करायी जाती है।	
डी0 =	अवधि (दिनों में), जिस दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है और यदि कहीं वह अवधि, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है, सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 12 माह (365 दिनों) की अवधि तक सीमित की जाएगी।	
एफ0 =	विभिन्न प्रकार की विद्युत चोरी की प्रकृति हेतु "एफ" निम्नवत प्रयोग किया जायेगा।	
	(क) घरेलू (LMV-1)	(एफ0 = 0.30)
	(ख) वाणिज्यिक (LMV-2)	(एफ0 = 0.50)
	(ग) छोटे एवं मध्यम उद्योग (LMV-6)	(एफ0 = 0.50)
	(घ) बड़े एवं भारी उद्योग (HV-1/HV-2)	(एफ0 = 0.75)
	(ड़) निजी नलकूप (LMV-5)	(एफ0 = 0.30)
	(च) अन्य जो ऊपर आच्छादित नहीं है	(एफ0 = 0.50)
	(छ) सीधी चोरी [*स्पष्टीकरण*–प्रत्यक्ष चोरी वहाँ अभिप्रेत है, जहाँ आपूर्ति सीधे जुड़ी है और कोई मीटर संस्थापित नहीं है।]	(एफ0 = 1.00)
(ख)	राजस्व निर्धारण की धनराशि रू0 = (बिन्दु 'क' के अनुसार निर्धारित यूनिट) × (2× रेट शेड्यूल के अनुसार विद्युत दर) – उक्त अवधि में उपभोक्ता द्वारा विद्युत ऊर्जा खपत की जमा की गयी धनराशि	

- उपभोक्ता को अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत/प्रेषित प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु पन्द्रह (15) कार्य दिवसों का समय दिया जायेगा।
- उपभोक्ता द्वारा खण्ड कार्यालय में प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, उस पर सुनवाई करते हुए, अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जायेगा।
- यदि वितरण खण्ड द्वारा निर्गत प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल पर सम्बन्धित व्यक्ति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के तीन (3) कार्य दिवसों के अन्दर उसे अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल जारी/प्रेषित कर दिया जायेगा।
- भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–126 के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये अन्तिम निर्धारण आदेश के 30 दिनों के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उ0प्र0 विद्युत प्रदाय सहिता–2005 के संलग्नक–7.3(I) के अनुसार अपील प्राधिकारी (सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त) के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।
- उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपभोक्ता को अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत किये जाने के उपरान्त भुगतान हेतु निर्धारित तिथि तक उसके द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में उसके सात (7) कार्य दिवसों के उपरान्त उसे धारा–3 के अन्तर्गत नोटिस जारी/प्रेषित किया जायेगा। बिल जमा करने हेतु अन्तिम रूप से तीस (30) कार्य दिवसों (निर्धारित तिथि का उल्लेख करते हुए) का समय दिया जायेगा।
- विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- उपभोक्ता द्वारा उक्त अदेयता प्रमाण पत्र को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके उपरान्त उपभोक्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अग्रेतर विधिक कार्यवाही सम्बन्धित प्रकरण में नहीं की जायेगी।